समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री सुभाष चन्द्र यादव, पे0 स्व0 कमलेश्वरी प्र0 मंडल, सा0+पो0- मुरहो, थाना+ जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-2188 पर धारित शस्त्र सं0-750487 का निर्धारित तिथि को भौतिक सत्यापन नहीं कराए जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 75 दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली 1962 के नियम-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त 9(ए) का उल्लंघन मानते हुए तत्काल प्रभाव से अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। श्री यादव द्वारा दिनांक 27-12-2013 का हस्ताक्षरित स्पष्टीकरण आवेदन एवं विहित प्रपत्र में बायोडाटा समर्पित किया गया है। इन्होंने हड्डी टूट जाने एवं उसका सर्जरी कराने हेतु पटना में ईलाजरत रहने की बात बताई है।

श्री यादव से प्राप्त बायोडाटा अवलोकन से ज्ञात होता है कि सम्प्रति इनका उम्र लगभग 78 वर्ष हो गया है। इतने उम्रदराज व्यक्तियों के पास शस्त्र अनुज्ञप्ति रहना सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। स्वयं अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियार को चलाने में सक्षम नहीं हैं। उक्त हथियार का उपयोग दूसरे व्यक्तियों के द्वारा किए जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है एवं लोक शांति भंग हो सकती है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं अनुज्ञप्ति शर्त्तो का उल्लंघन मानते हुए श्री सुभाष चन्द्र यादव, पे0 स्व0 कमलेश्वरी प्र0 मंडल, सा0+पो0- मुरहो, थाना+ जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-2188 को रद्द किया जाता है तथा उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित रायफल शस्त्र सं0-750487 को तत्क्षण मधेपुरा थाना में जमा करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि वे अपना मूल अनुज्ञप्ति जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं रायफल मधेपुरा थाना में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री यादव के द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त समर्पित करने के पश्चात् उनके अनुज्ञप्ति पुस्त एवं मूल अनुज्ञप्ति पंजी पर उक्त आशय की प्रविष्टि करवा कर हस्ताक्षर करेंगे।

थानाध्यक्ष, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री यादव द्वारा अपना शस्त्र जमा करने पर सुरक्षित मालखाना में जमा कर देंगे एवं उसकी सूचना जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा को भी देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

Ameena 12/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 91 /शस्त्र, दिनांक 12-03-2014.

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री सुभाष चन्द्र यादव, पे0 स्व0 कमलेश्वरी प्र0 मंडल, सा0+पो0- मुरहो, थाना+ जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Ameena 12/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।